



हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

बजट सत्र 2023

कार्य सूची

20 फरवरी, 2023

11:00:00

1. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना

- (1) अध्यक्ष महोदय सदन को प्रतिवेदित करेंगे कि राज्यपाल महोदय ने आज 11.00 बजे प्रातः हरियाणा विधान सभा के सम्मुख अभिभाषण देने की कृपा की है तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर रखेंगे।

2. शोक प्रस्ताव

(1) एक मंत्री स्वर्गीय:-

1. श्री जगदीश नेहरा, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री;
2. श्री वेद पाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष;
3. श्री धर्मबीर गाबा, राज्य के भूतपूर्व मंत्री;
4. श्री भगवान सहाय रावत, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
5. चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
6. श्री जगराम, स्वतन्त्रता सेनानी;
7. हरियाणा के शहीद;
8. अन्य
के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

3. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

(1)

- | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) अध्यक्ष | विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे। |
| (ii) समिति के एक सदस्य | प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। |

4. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।

(1)

1. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

(2)

2. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

(3)

3. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 पर पुनः रखेंगे।

(4)

4. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

(5)

5. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

(6)

6. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

(7)

7. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 73/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

(8)

8. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

(49)

49. एक हरियाणा पशु मेला अधिनियम की धारा 22 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3/एच.ए. 30/1970/एस.22/2022, दिनांकित 25 फरवरी, 2022 मेज पर पुनः रखेंगे।

(50)

50. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी-2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।

(51)

51. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी-2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।

(52)

52. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी-2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।

(53)

53. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 04/जी.एस.टी-2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।

(54)

54. एक हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान मंत्री विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.टी-2, दिनांकित 25 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।

(55)

55. एक हरियाणा पशु मेला अधिनियम 1970 की धारा 22 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3/एच.ए. 30/1970/एस.22/2022, दिनांकित 25 फरवरी, 2022 के संबंध में शुद्धिपत्र दिनांकित 13 फरवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।

Chandigarh-160001,

दिनांक: १९ फरवरी २०२३

राजेन्द्र कुमार नांदल,
Secretary
